29/6/18

वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर बहस सुनी गई। पैरोकार सरकार उपस्थित। वकील प्रार्थी के तर्क रहे कि उसके हिस्से की आराजी को प्रतिवादी सख्या 1 से 12 दीगर व्यक्ति को बेचान पर आमादा है। पैरोकार प्रतिवादी के तर्क रहे कि रहे कि यदि कोई सह खातेदार अपने हिस्से की भूमि को बेचना चाहे तो उसे बेचान से रोका नहीं जा सकता क्योंकि विवादित आराजी संयुक्त खातेदारी की है अतः किसी सह खातेदार के विरुद्ध निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि वादी एवं प्रतिवादी विवादित आराजी के सहखातेदार है ऐसी स्थिति में प्रतिपादित न्यायसिद्धान्तानुसार किसी सह खातेदार के विरुद्ध निषेधाज्ञा नहीं दी जा सकती। वाद पत्र मेरिट पर तय होना है। वर्तमान स्थिति में अस्थाई निषेधाज्ञा दिया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है। मिसल फैसल शुमार होकर नक्ल से [illegible] हो। वाद दस्तूर दाखिल हो।

(सुरेश चावला)
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
मसूदा (अजमेर) राज०

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.18 16:07:11 IST
Reason: SelfAttested